

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

शंभु शरण भा०प्र०से०

सरकार के अपर सचिव।

सवा म,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- १६/०६/२०२५

विषय:- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, २५० एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं ५४६२ शैथ्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० ५५४०,०७,००,०००/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध राशि रु० ७५,००,००,०००/- (रुपये पचहत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, २५० एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं ५४६२ शैथ्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक-२२ ०७ २०२५ पत्रांक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-५८०/वि०, दिनांक-३०.०७ २०२५ के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में रु० १४०.०० करोड़ की राशि इस परियोजना हेतु विमुक्त की गयी है।

२- ज्ञातव्य है कि स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-१३७७(१), दिनांक-०६.१२ २०१८ द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, २५० एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं ५४६२ शैथ्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० ५५४०,०७,००,०००/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में स्कीम (योजना) स्वीकृत है।

३- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र०स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्यादेश/आवटनादेश सं० एवं दिनांक
१	२०१८-१९	५,००,००,०००/-	सं०-८८(१)ब०, दिनांक-०८ ०१ २०१९
२	२०१९-२०	२००,००,००,०००/-	सं०-१३६०(१), दिनांक-०३ १० २०१९
३	२०२०-२१	६९,५४,००,०००/-	सं०-२५२(१), दिनांक-१० ०३ २०२१
४	२०२१-२२	८२,५०,००,०००/-	सं०-४०९(१), दिनांक-१६ ०६ २०२१
५	२०२१-२२	५८,४५,००,०००/-	सं०-३८९(७), दिनांक-११ ०३ २०२२
६	२०२२-२३	५०,००,००,०००/-	सं०-८९(७), दिनांक-३० ०६ २०२२
७	२०२२-२३	४,३०,५७,००,०००/-	सं०-२९०(७), दिनांक-२४ ११ २०२२
८	२०२३-२४	६१,००,००,०००/-	सं०-१९६(७), दिनांक-२८ ०८ २०२३
९	२०२३-२४	९,२२,००,०००/-	सं०-३९०(७), दिनांक-०३ ०१ २०२४
१०	२०२३-२४	२९,१२,७०,०००/-	सं०-६४०(७), दिनांक-१४ ०३ २०२४
११	२०२४-२५	२४,००,००,०००/-	सं०-८२(७), दिनांक-२५ ०६ २०२४
१२	२०२४-२५	२,१०,००,००,०००/-	सं०-१५४(७), दिनांक-२९ ०८ २०२४
१३	२०२४-२५	२,१२,७७,००,०००/-	सं०-३०३(७), दिनांक-२० १२ २०२४
१४	२०२४-२५	३०,००,००,०००/-	सं०-४९७(७), दिनांक-१० ०३ २०२५
कुल योग-		१४,७२,१७,७०,०००/-	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एन्डबी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैथ्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5540,07,00,000/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध राशि रु० 75,00,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5- कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-1377(1), दिनांक-06.12.2018 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), एवं दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024, के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबद्धित राशि/प्रथम अनूपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

8- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूँजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10- वित्त विभागीय पत्राक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्राक-580/वि०, दिनांक-30.07.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगी।

11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-1/प०मे०कॉ०अ०-07/2018 के पृष्ठ-1/1/टि० पर प्राप्त है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभु शरण)

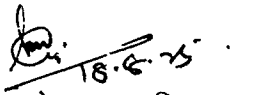
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-1/एनमेंकोऑ-07/2018 - 215/7/स्वा0, पटना, दिनांक- 18/08/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना/पित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को यथाशीघ्र ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव ।
-Kumar